न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 06/2024

श्री महावीर खंण्डेलवाल निवासी 22 आदर्श मौहल्ला सूचना केन्द्र के पीछे भीलवाडा राज0 पिन 311001 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 1.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 31.08.1998 की कार्यवाही में तहसीलदार जी टोंक द्वारा एस.डी.एम. सा0 के आदेश कमांक 1907 दिनांक 30.07.1998 के आदेश की पालना में नामान्तरकरण करना बताया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आदेश कमांक 1907 दिनांक 30.07.1998 तथा नामान्तकरण करने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी आदेश बहलफनामा व सभी कागजात की सत्यापित प्रतिलिपी दिलावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 239 दिनांक 05.03.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र कमांकः 2462 दिनांक 14.03.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर कार्यालय हाजा से संबंधित सूचना व्यक्तिशः अपलब्ध करा दी गई थी, शेष वाछिंत सूचना श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक से संबंधित होने के कारण उक्त सूचना दिये जाने हेतु अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत पत्र कमांक 1051 दिनांक 9.02.2024 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को पत्र कमांक 355 दिनांक 21.03.2024, 380 दिनांक 2.04.2024 व 393 दिनांक 16.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी का सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांकः 824 दिनांक 9.04.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांक 486 दिनांक 12.02.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक